न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :— प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 8/2020 (डूंगरपुर डिकी)

1. धूलजी पाटीदार पिता लवजी पाटीदार, निवासी जोगपुरा, तह. गलियाकोट
2. हितेष पाटीदार पिता कुबेरजी पाटीदार, निवासी जोगपुरा, तह. गलियाकोट
3. मावजी पाटीदार पिता नाथूजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
4. गोकलजी पाटीदार पिता खेमजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह. गलियाकोट
5. नाथूजी पाटीदार पिता खेमजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
6. गलजी पाटीदार पिता देवजी पाटीदार, निवासी जोगपुरा, तह. गलियाकोट
7. मेघजी पाटीदार पिता खेमजी पाटीदार, निवासी जोगपुरा, तह. गलियाकोट
8. वालजी पाटीदार पिता लवजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
9. कचरूजी पाटीदार पिता नाथूजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
10. सचिन पाटीदार पिता कचरूजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
11. श्रीमती गुंजन पाटीदार पिता जेथा पाटीदार, नि. जोगपुरा, त. गलियाकोट
12. रमेशजी पाटीदार पिता लवजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
13. श्रीमती विमला पाटीदार पिता भरतजी पाटीदार, नि. जोगपुरा, त. गलियाकोट
14. भंवरजी पाटीदार पिता लवजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
15. गौमतजी पाटीदार पिता डूंगरजी पाटीदार, नि. जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
16. कुरियाजी पाटीदार पिता हकरजी पाटीदार, नि. जोगपुरा, तह. गलियाकोट
17. जयेशजी पाटीदार पिता अकईजी पाटीदार, नि. जोगपुरा, तह. गलियाकोट
18. नरेशजी पाटीदार पिता पदमजी पाटीदार, नि0 जोगपुरा, तह0 गलियाकोट
19. कुरियाजी पाटीदार पिता रामेंगजी पाटीदार, नि. जोगपुरा, त. गलियाकोट
20. वजेचन्दजी पाटीदार पिता गौतमजी पाटीदार, निवासी जोगपुरा, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती गंगा पाटीदार बेवा मानजी पाटीदार, निवासी जोगपुरा, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार, गलियाकोट, जिला डूंगरपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सागवाड़ा
दिनांक 04.03.2020 प्र.सं. 63/2019

---/---

उपस्थित(वक्त बहस) 1– श्री सत्यप्रकाश व्यास अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री रत्नेश शाह अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1
3– श्री पैरोकार सरकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

---::---

निर्णय दिनांक 20–02–2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया के पड़दादा ससुर अदेहींग वल्द नगजी पटेल के नाम मौजा जोगपुरा में संवत् 2001 से 2010 की खतौनी में खसरा नंबर 608 रकबा 13 बिस्वा व खसारा नंबर 609 रकबा 15 बिस्वा भूमि थी। संवत् 2015 के सेटलमेन्ट में खसरा नंबर 609 को 6 बिस्वा व खसरा नंबर 608 को 13 बिस्वा भूमि में मिलाकर नवीन खसरा नंबर 695 रकबा 19 बिस्वा बना। खसरा नंबर 609 का शेष 9 विश्वा खसरा नंबर 694 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में शामिल करते हुए उक्त भूमि संवत् 2022 में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज कर दी। खसरा नंबर 695 रकबा 19 बिस्वा अदेहींग के पुत्र कमलिया के नाम संवत् 2022 में दर्ज है, लेकिन मूल खसरा नंबर 609 की 9 बिस्वा भूमि आराजी नंबर 694 में मिलाते हुए बिलानाम अंकित कर दी गयी। वादिया के दादा ससुर कमलिया व उसके पुत्र नगजी तथा नगजी के पुत्र मानजी की मृत्यु हो चुकी है। पारिवारिक बंटवारे में खसरा नंबर 694 की जो 9 बिस्वा भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है वह वादिया के हिस्से में आई है तथा वादिया वर्तमान में उस पर काबिज है। अतः वादिया का वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 694 की रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 9 बिस्वा भूमि का वादिया को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में वादिया के नाम दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी द्वारा जवाब ... तथ्यों को स्वीकार किया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04–03–2020 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वादीया का वाद स्वीकार कर डिकी जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06–08–2020 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री रत्नेश शाह उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 694 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि बिलानाम होकर प्रार्थीगण के मवेशियों के गोबर डालकर खाद बनाने के काम आ रही है, जिसे 100 वर्ष से उपर का समय हो चुका है तथा अन्दाजन 10 बाई 10 के गढ्ढे बने हुए हैं। वादिया ने हकीकत को छुपाते हुए बिना प्रार्थीगण को पक्षकार बनाये वाद प्रस्तुत किये, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार का वादिया का वाद डिकी कर दिया, जिससे प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि विवादित आराजियात से अपीलान्ट/प्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं है, न ही उनका कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादिया का वाद डिकी किया है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अपील मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी प्रार्थीगण के मवेशियों के गोबर डालने के काम आ रही है, जिसका उपयोग वह 100 वर्ष से भी अधिक समय से करते चले आ रहे हैं। मौके के फोटोग्राफ्स के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर गढ्ढे बने होकर उनके गोबर पड़ा हुआ है। तद्नुसार हम अपीलान्ट/प्रार्थीगण को प्रभावित पक्षकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

पाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर बहस पर मनन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत उक्त वाद में वादिया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने सिर्फ तहसीलदार गलियाकोट को ही पक्षकार बनाया है, जिन्होंने कोई विरोध प्रकट नहीं किया एवं अपनी सहमति प्रदान कर दी। अधिनस्थ न्यायालय ने वादीया के बयान तक दर्ज नहीं करवाये, न ही उसके परिवार अथवा अन्य किसी विश्वसनीय व्यक्ति के बयान दर्ज करवाये हैं तथा बिना जांच पड़ताल के सरकारी जमीन आसानी से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को दे दी, जबकि विवादित खसरा नंबर 694 के अन्य खातेदार भी थे, जिन्हें वादिया/रेस्पोन्डेन्ट ने पक्षकार नहीं बनाया है। विवादित आराजी सरकारी भूमि होकर जनहित के उपयोग में आ रही है, उक्त जनहित से जुड़े मामले में केवल एक पक्ष को सुनकर निर्णय व डिक्री जारी की गया है, जो प्रारम्भ से अवैध होकर शून्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अपीलान्टगण का विवादित आराजी से कोई संबंध नहीं है, न तो वे खातेदार हैं एवं न ही उनका कब्जा है। मात्र वादिया/रेस्पोन्डेन्ट को परेशान करने की नियत से उक्त अपील मिथ्या आधारों पर प्रस्तुत की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी तहसीलदार गलियाकोट की सहमति के आधार पर वादिया/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री ... है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में विवादित आराजी नंबर 694 बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। ऐसी स्थिति में सरकारी भूमि की खातेदारी देने से पूर्व मौके की जांच पड़ताल किया जाना आवश्यक था, जबकि इस बाबत् किसी प्रकार की मौके की जांच किये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय ने मात्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वादिया/रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–03–2020 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 20–02–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.....मुकाम.....उदयपुर.....
व इजलास .....प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस. .....

धूलजी पाटीदार पिता लवजी पाटीदार निवासी जोगपुरा, तहसील गलियाकोट जिला डूंगरपुर व अन्य — बनाम — श्रीमती गंगा पाटीदार बेवा मानजी पाटीदार निवासी जोगपुरा, तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर व अन्य

अपील नं.....08/2020.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....सागवाड़ा ..... मुकाम.....मुवर्खे.....04.....माह.....03.....2020

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....20....माह.....02.....सन् 2024 रूबरू.....पक्षकारान व हाजरी.....श्री सत्य प्रकाश व्यास....मिनजानिब अपीलान्ट व .....श्री रत्नेश शाह .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 04–03–2020 अपास्त की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....20....माह.....02.....2024 को जारी किया गया ।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील.....		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:30:06 IST
Reason: SelfAttested